

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-9/उपा0/बीज (विविध) - 25/2014 1184 /कृ0, पटना, दिनांक-02-03-2016

प्रेषक,

प्रभु राम  
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)  
से परामर्शित।

विषय : नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" योजना वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रांश 2083.45 लाख रू0 एवं राज्यांश 434.49 लाख रू0 कुल 2517.94 लाख रू0 की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं तत्काल सामान्य वर्ग के लिए इसके अधीन 1213.10 लाख रू0 केन्द्रांश मद में एवं 360.63 लाख रू0 राज्यांश मद में कुल 1573.73 लाख (पन्द्रह करोड़ तेहतर लाख तेहतर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार, राज्य सरकार द्वारा फसलों के गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि तथा बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" योजना वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रांश 2083.45 लाख रू0 एवं राज्यांश 434.49 लाख रू0 कुल 2517.94 लाख रू0 की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं तत्काल सामान्य वर्ग के लिए इसके अधीन 1213.10 लाख रू0 केन्द्रांश मद में एवं 360.63 लाख रू0 राज्यांश मद में कुल 1573.73 लाख (पन्द्रह करोड़ तेहतर लाख तेहतर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग को बढ़ावा देने एवं बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2015-16 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" योजना की स्वीकृति दी गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के स्वीकृत कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है-

A. बीज ग्राम

		(खरीफ 2015)			(राशि लाख रुपये में)	
फसल	बीज ग्राम की संख्या	किसान की सं०	बीज की मात्रा (क्वी० में)	स्वीकृत मूल्य दर (रू0/ क्वी०)	स्वीकृत अनुदान राशि (रू0/ क्वी०)	बीज अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7
धान	587	58617	7034.02	3409	1700	119.58
अरहर	13	1302	104.14	9000	5400	5.62
योग		59919				125.20
किसान प्रशिक्षण	59919 किसान, एक समूह में 150 किसान, कुल समूह की सं० 399, @15000 रू0/समूह					59.85
कुल योग						185.05



रबी 2015-16						
चना	86	8600	2752	8000	4800	132.10
मसूर	153	15300	2448	8000	4800	117.50
मटर	65	6500	2080	8000	4800	99.84
राई/ सरसो	257	12850	257	7000	4200	10.79
योग		<b>43250</b>				<b>360.23</b>
किसान प्रशिक्षण	43250 किसान, एक समूह में 150 किसान, कुल समूह की सं० 289 @15000 रू०/समूह					<b>43.35</b>
<b>कुल योग</b>						<b>403.58</b>
गरमा 2016						
मूंग	273	27290	2183.20	13000	7800	170.29
किसान प्रशिक्षण	27270 किसान, एक समूह में 150 किसान, कुल समूह की सं० 182 @15000 रू०/समूह					<b>27.30</b>
<b>कुल योग</b>						<b>197.59</b>
<b>सकल योग</b>						<b>786.22</b>
केन्द्रांश						<b>471.73</b>
राज्यांश						<b>314.49</b>
वर्ष 2014-15 के उतरदायित्व राशि के भुगतान हेतु 2015-16 में राशि की आवश्यकता						<b>491.69</b>
वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत कुल आवश्यक राशि						<b>1277.91</b>
भारत सरकार का कुल अंश (2015-16 का केन्द्रांश+2014-15 का उतरदायित्व राशि)						<b>963.42</b>
वर्ष 2014-15 की अवशेष राशि जिसे 2015-16 में रिभेलिडेट किया गया है						<b>856.93</b>
योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित कुल राशि						<b>2134.84</b>

B. विभागीय पत्रांक 2817 दिनांक 16.06.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के अन्य घटक का प्रस्ताव भेजा गया है जो नये शेयरिंग पैटर्न पर संशोधित रूप में निम्न प्रकार है -

Sl. No	Scheme	Allocated Amount by GOI (Rs. In lakh)	Necessary State share amount (Rs. In lakh)	Proposal		Total Proposed cost (Rs. In lakh)
				GOI (Rs. In lakh)	State share (Rs. In lakh)	
1	National Seeds Reserve	57.00	0.00	53.11	0.00	53.11
2	Seed Production through Seed Village	100.00	66.67	90.00	60.00	150.00
3	Seed Certification	20.00	60.00	20.00	60.00	80.00
4	Seed Testing Lab	10.00	0.00	9.99	0.00	9.99
<b>Grand Total</b>		<b>187.00</b>	<b>126.67</b>	<b>173.10</b>	<b>120.00</b>	<b>293.10</b>

C. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में बीज परीक्षण प्रयोगशाला के आधारभूत संरचना के विकास हेतु सहायता राशि पत्र सं० 8-8 (4) 2014-SDI दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा 90.00 लाख (नब्बे लाख रू०) विमुक्त किया गया था। उक्त राशि के संबंध में जानकारी मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2015 में दी गयी है। स्वीकृत राशि का उपयोग वर्ष 2015-16 में बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु की जायेगी।

*Signature*



उपर्युक्त तीनों प्रस्ताव A,B,C के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि निम्न प्रकार है-

घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
G. Seed Village Scheme	1820.35	314.49	2134.84
H. (i) National Seed Reserve	53.11	0	53.11
(ii) C/S Production through Seed Village	90.00	60.00	150.00
(iii) Seed Certification	20.00	60.00	80.00
(iv) Seed Testing Lab	9.99	0	9.99
I. Seed Testing Lab	90.00	0	90.00
<b>Total</b>	<b>2083.45</b>	<b>434.49</b>	<b>2517.94</b>

2. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें वर्ष 2015-16 में घटकवार केन्द्रांश एवं राज्यांश की हिस्सेदारी निम्नवत है-

घटक	केन्द्रांश का प्रतिशत	राज्यांश का प्रतिशत
बीज ग्राम योजना	60	40
नेशनल सीड रिजर्व	100	0
प्रमाणित बीज उत्पादन बीज ग्राम द्वारा	60	40
बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी को सहायता	25	75
बीज परीक्षण प्रयोगशाला	100	0

3. बीज ग्राम योजना हेतु चयनित बीज ग्राम के चयनित किसानों को एक एकड़ के लिए धान, अरहर, चना, मसूर, मटर, राई/सरसो एवं मूंग के आधार/प्रमाणित बीज बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत धान के आधार/प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं अरहर, चना, मसूर, मटर, राई/सरसो एवं मूंग के आधार/प्रमाणित बीज 60 प्रतिशत अधिकतम अनुदान प्रस्तावित कार्यक्रम कांडिका 1 (A. बीज ग्राम) की तालिका के कॉलम 5 में स्वीकृत मूल्य दर के अनुसार अनुदान किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत बीज मूल्य दर से बीज के मूल्य कम होने पर वास्तविक राशि का 50 या 60 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया जायेगा। बीज ग्राम के किसानों को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा। एक समूह में 150 किसान को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक समूह के प्रशिक्षण पर 15000 रु० व्यय किया जायेगा। योजनान्तर्गत बीज की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सरकारी बीज कम्पनी/बिहार राज्य बीज निगम से सुनिश्चित किया जायेगा। आपूरित बीज के अनुदान राशि एवं किसान प्रशिक्षण किसानों को उपलब्ध कराने हेतु राशि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को संलग्न अनुसूची- 1, 2 एवं 3 के आलोक में अनुसूची-4 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर बीज अनुदान की राशि किसानों को तथा प्रशिक्षण मद की राशि परियोजना निदेशक, आत्मा को दी जायेगी।

4. गतवर्ष (2014-15) के उतरदायित्व राशि का शत प्रतिशत वहन केन्द्रांश मद से किया जायेगा। वर्ष 2014-15 के उतरदायित्व राशि का भुगतान उस वर्ष के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। रिभेलिडेट राशि का उपयोग गतवर्ष के बीज अनुदान एवं किसान प्रशिक्षण मद की राशि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को संलग्न अनुसूची- 5 के आलोक में भुगतान हेतु बजट के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर राशि आपूर्तिकर्ता कम्पनी/निगम/परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जायेगा।







5. National Seed Reserve एवं C/S Production through Seed Village मद की राशि का आवंटन कृषि निदेशक को किया जायेगा। कृषि निदेशक द्वारा राशि की निकासी कोषागार से कर बिहार राज्य बीज निगम को उनके पी0एल0 खाता में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

6. बीज परीक्षण प्रयोगशाला के आधारभूत संरचना विकास मद में स्वीकृत राशि का आवंटन उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण को किया जायेगा। उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण हेतु किया जायेगा।

7. बीज प्रमाणीकरण मद की राशि का आवंटन कृषि निदेशक को किया जायेगा। कृषि निदेशक द्वारा राशि की निकासी कर निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी को उनके पी0एल0 खाता में राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

8. योजना का क्रियान्वयन कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा। केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के राशि की निकासी बजट के आलोक में की जायेगी।

9. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि 1213.10 लाख रू0 केन्द्रांश मद में एवं 360.63 लाख रू0 राज्यांश मद की राशि की निकासी निम्न बजट शीर्ष एवं विषय शीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि के अधीन की जायेगी। (राशि लाख रू0 में)

(क)	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
<b>(क) नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत (केन्द्रांश)</b>				
	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109- विस्तार किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-1, उप शीर्ष 0217- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9144, विपत्र कोड P2401001090217	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	5326.11	1213.10
<b>(ख) नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत (राज्यांश)</b>				
	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-1, उप शीर्ष 0317- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9144, विपत्र कोड P2401001090317	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	3510.00	360.63

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रीपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या- 9/उपा0/बीज (विविध) -25/2014 के पृ0सं0- 39/टि. पर दिनांक : 09.02.2016 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 9/उपा0/बीज (विविध)-25/2014 के पृ0सं0-42/टि0 पर दिनांक 24/2/16 को प्राप्त है।

*(हस्ताक्षर)*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(हस्ताक्षर)*  
(प्रभु राय)

निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

